(वाद सं0– 1225/4/3/2022)

05.09.2023

परिवादी, मंजु देवी, अपने पति, योगेन्द्र राम, के साथ उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा मौजा–कटौरिया, थाना संख्या–131, खेसरा संख्या–2365 व 2362 की कुल 0.93 डीसमिल जमीन का वर्ष–2007 में अधिग्रहण किये जाने के बाद भी अबतक परिवादी को मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, बाँका** से प्रतिवेदन की माँग की गई। **जिला पदाधिकारी, बाँका** के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल + थाना–कटोरिया, मौजा–कटोरिया, थाना न0–130, खाता संख्या–175, खेसरा न0–2365 रकबा–0.84 एकड़ एवं खाता संख्या–177, खेसरा संख्या–2362, रकबा–0.09 एकड़ भूमि का किस्म सी0एस0 खतियान में बकास्त जोतदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में परिवादी को उक्त भूमि का रैयती मान्यता प्राप्त नहीं है। रैयती मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त ही मुआवजा भुगतान हेतु किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है।

आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित परिवादी का कथन है कि प्रसंगाधीन भूमि का रैयत लटरू मोदी, था, जिससे उसने निबंधित विक्रय विलेख द्वारा दिनांक–01.04.1995 को उक्त भूमि को क्रय किया था तथा क्रयोपरान्त उसका लगातार क्रय की गई जमीन पर दखल–कब्जा है। परिवादी का यह भी कथन है कि **उसकी ओर से अपर समाहर्त्ता, बाँका के न्यायालय में रैयती मान्यता वाद संख्या–2013/22–23 दाखिल किया गया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।**

उपरोक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, बाँका से यह अनुरोध है कि रैयती मान्यता वाद संख्या–2013/22–23 का विधि अनुसार यथाशीघ्र निष्पादन कर, परिवादी के अधिग्रहित भूमि के मुआवजा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी, बाँका को भेजते हुए इसकी एक प्रति परिवादी को भी सूचनार्थ उपलब्ध करा दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक